खबरों में रहे स्टॉक

गोदरेज प्रॉपर्टीज

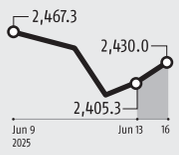

बेंगलूरु के होसकोटे में 14 एकड़ जमीन विकसित करने की योजना

₹ 2,405.3 पिछला बंद भाव
₹ 2,430.0 आज का बंद भाव
1.0 % ▲

स्टरलाइट टेक्नोलजीज

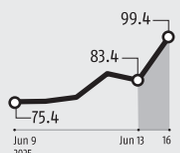

एआई-संचालित अवसंरचना के लिए अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर समाधानों की पेशकश

₹ 83.4 पिछला बंद भाव
₹ 99.4 आज का बंद भाव
19.3 % ▲

ओमेक्स

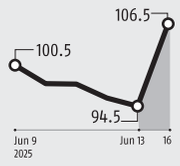

1,000 करोड़ रुपये के निवेश से अमृतसर में नई टाउनशिप की शुरुआत

₹ 94.5 पिछला बंद भाव
₹ 106.5 आज का बंद भाव
12.7 % ▲

इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना

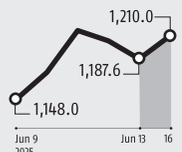

फैब ने उपभोक्ता बैंकिंग के लिए इंटेलेक्ट का ऋण प्रबंधन समाधान अपनाया

₹ 1,187.6 पिछला बंद भाव
₹ 1,210.0 आज का बंद भाव
1.9 % ▲

जेबीएम ऑटो

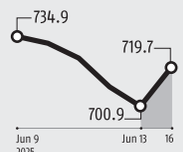

जेबीएम ईवी ने यूआईटीपी के शिखर सम्मेलन में पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिटी बस पेश की

₹ 700.9 पिछला बंद भाव
₹ 719.7 आज का बंद भाव
2.7 % ▲

वाहन में हाइड्रोजन क्रांति को रफ्तार

पृष्ठ 1 का शेष

इन ट्रकों का परीक्षण प्रमुख मार्गों पर किया जाएगा जिनमें मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, सूरत, वडोदरा, जमशेदपुर और कलिंगनगर शामिल हैं। टाटा मोटर्स के ग्रुप सीएफओ पीबी बालाजी ने हाल में कहा था, 'हमने अपने पहले हाइड्रोजन ट्रकों की शिपिंग भी शुरू कर दी है।'

कंपनी ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इंडियन ऑयल के साथ करार किया है। परीक्षण के तौर पर शुरू की गई परियोजना से आंकड़े प्राप्त होंगे जिनका उपयोग वाहन को बेहतर बनाने और विभिन्न मार्गों पर हाइड्रोजन की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किया जाएगा। टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने जनवरी में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में संकेत दिया था कि कंपनी दो साल के भीतर वाणिज्यिक तौर पर वाहन को उतारने के लिए तैयार है। मगर फिलहाल वह कोई जानकारी साझा नहीं करना चाहती है।

वाहन उद्योग के अन्य दिग्गज भी हाइड्रोजन वाहन उतारने की तैयारी कर रहे हैं। डेमलर इंडिया कमर्शल व्हीकल्स के अध्यक्ष (उत्पाद इंजीनियरिंग) और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा, 'परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में पहल करते हुए ईंधन सेल वाले डेमलर ट्रक का विमास अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। तमाम परीक्षण के बाद मर्सिडीज बेंज जेनएच2 ट्रक अब ग्राहकों के बेड़े में शामिल होने के लिए अंतिम चरण में है।'

आईटी व बीपीओ फर्मों ने तय किया महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

2030 तक 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन बेड़ा

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 16 जून

अपने कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने की परिवहन सुविधा देने वाली सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) से जुड़ी ज्यादातर वैश्विक और भारतीय कंपनियां साल 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा तैयार करना चाहती हैं।

लक्ष्य काफी महत्त्वाकांक्षी है। इसका मतलब यह है कि 9,00,000 से ज्यादा कैब के उन मौजूदा बेड़ों में से 95 फीसदी को बदलना जो कर्मचारियों को घर से दफ्तर लाती और वापस ले जाती हैं। पांच शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली-एनसीआर के मामले में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत है, क्योंकि इन शहरों में ईवी की पैठ ज्यादा है।

रूटमैटिक के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) श्रीराम कन्नन, जो बिज नेस-टू-बिजनेस (बी2बी) क्षेत्र में हैं, ने कहा, कंपनियां 2040 तक 100 फीसदी ईवी चाहती हैं। अभी हमारी 2,500 कैब में से औसतन 10 प्रतिशत ईवी हैं। हमारा अनुमान है कि समग्र उद्योग में ये 5 फीसदी होंगी। कंपनियां हमें हर साल संख्या बढ़ाने का आदेश दे रही हैं, लेकिन चरणों में। हमें लगता है कि हम अगले दो वर्षों में 30 फीसदी तक पहुंच पाएंगे। रूटमैटिक फॉर्चून 500 और भारतीय कंपनियों को सेवाएं मुहैया कराती है।

प्रमुख शहरों में बैक ऑफिस वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी) के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के हमारे कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी परिवहन वाले सभी वाहन 2028 तक इलेक्ट्रिक होने चाहिए। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुपलब्धता के कारण हमारे पास 2030 तक की चरणबद्ध योजना है।

सबसे बड़ी चुनौती ईवी को सड़क पर उतारने की व्यवहारिकता की है। श्रीराम ने कहा कि वर्तमान में उनकी कंपनी ड्राइवरों को एक निश्चित मासिक आय का भुगतान करती है, चाहे वे कितनी ही ट्रिप लगाएं। जिन वाहनों के ड्राइवर भी मालिक हैं. उनमें वह ईवी के बजाय आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन को प्राथमिकता देगी क्योंकि ईवी महंगी है और इसकी मासिक किस्त दोगुनी हैं। इससे उसकी शुद्ध मासिक आय पर काफी असर पड़ेगा।

चंद्रा ने एयर इंडिया के कर्मियों को दृढ़ रहने के लिए कहा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 16 जून

अहमदाबाद में पिछले सप्ताह हुई विमान दुर्घटना के मद्देनजर एयर इंडिया और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गुरुग्राम में कंपनी के मुख्यालय और प्रशिक्षण अकादमी में करीब 700 से कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें एकजुटता और दृढ़ संकल्प का संदेश दिया।

चंद्रशेखरन ने उपस्थित कर्मचारियों से कहा, 'मुझे लगा कि मुझे यहां आना चाहिए और यथासंभव आप लोगों से मिलना चाहिए।' इनमें से कई कर्मचारी उस आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का हिस्सा थे, जिसे इस त्रासदी के बाद सक्रिय किया गया था। चंद्रा ने आपातकालीन नियंत्रण केंद्र, एकीकृत संचालन नियंत्रण केंद्र और ग्राहक सेवा एवं सहायता केंद्र का भी दौरा किया। अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटना स्थल के दौरे के बारे में बात करते हुए चंद्रा ने कहा, 'यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने अपने करियर में कई संकट देखे हैं, लेकिन इस तरह का दुखद अनुभव नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।' चंद्रशेखरन ने माना कि कोई भी शब्द या कार्रवाई हादसे में खत्म 241 जिंदगियों को वापस नहीं ला सकती। लेकिन उन्होंने प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हम इस त्रासदी में किसी को खोने वाले हर व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं - अभी और हमेशा के लिए।'

उन्होंने कर्मचारियों से इस त्रासदी का उपयोग एयर इंडिया को मजबूत बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'अब वादे करने का समय नहीं है। यह कार्रवाई का समय है। अपने रास्ते पर बने रहें। आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें अधिक दृढ़ संकल्प रखें।'

एयर इंडिया के कायापलट के लिए मैकिंजी से संपर्क

एयर इंडिया में आमूल बदलाव के लिए टाटा समूह सलाहकार क्षेत्र की वैश्विक दिग्गज मैकिंजी ऐंड कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है। पिछले सप्ताह अहमदाबाद में हुई घातक दुर्घटना के बाद विमानन कंपनी अपने सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है। मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी।

जानकार सूत्र के अनुसार टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने विमानन कंपनी के पुनरुद्धार की रणनीति बनाने के लिए सप्ताहांत के दौरान मुंबई में मैकिंजी के वरिष्ठ पार्टनर विवेक पंडित से मुलाकात की। एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाले बोइंग ड्रीमलाइनर के उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ दिन उपरांत यह मुलाकात हुई है। इस हादसे में 241 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए थे। केवल एक ही यात्री जीवित बच पाया।

सूत्र ने बताया कि चंद्रशेखरन ने टाटा समूह के प्रमुख अधिकारियों के साथ आंतरिक परामर्श भी किया, जिनमें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा संस के निदेशक मंडल के निदेशक भी शामिल थे। *बीएस*

मई में यात्री वाहनों की बिक्री में आई गिरावट, दोपहिया में मामूली बढ़त

पिछले महीने 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद मई में डीलरों को भेजी जाने वाली यात्री वाहनों की खेप में मामूली गिरावट आई है। हालांकि इस महीने दोपहिया वाहनों की खेप बढ़ी है मगर मामूली यानी 2.2 प्रतिशत। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के आंकड़ों के अनुसार डीलरों को भेजी गई यात्री वाहनों की खेप 0.8 प्रतिशत घटकर 3,44,656 रह गई। उद्योग पर नजर रखने वालों ने कहा कि डीलरों के पास बिना बिके वाहनों का अधिक स्टॉक होने के कारण खेप भेजने पर दबाव पड़ा है। मई में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 3.1 प्रतिशत और पिछले महीने के मुकाबले 13.6 प्रतिशत की गिरावट आई।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यात्री वाहनों का बिना बिका स्टॉक बढ़कर 52 से 53 दिनों का हो चुका है। हालांकि आरबीआई के दरों में कटौती करने और मॉनसून के सामान्य से बेहतर रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्री वाहनों की बिक्री का परिदृश्य सकारात्मक है।

सायम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि मई में सभी वाहन श्रेणियों का प्रदर्शन स्थिर रहा और डीलरों को भेजे जाने वाले यात्री वाहनों की खेप 3,44,656 रही, जो मई में अब तक की दूसरी सबसे अधिक बिक्री है। पिछले साल मई की तुलना में तिपहिया वाहनों की बिक्री में 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। *बीएस*

अल्ट्रावायलेट ने पेरिस में उतारी ई-बाइक

बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ईवी) विनिर्माता अल्ट्रावायलेट ने आज पेरिस में अपनी प्रमुख मोटरसाइकलें एफ77 मैक2 और एफ77 सुपरस्ट्रीट पेश कीं। इसी के साथ कंपनी ने दावा किया कि वह यूरोपीय संघ (ईयू) को बाइक निर्यात करने वाली पहली भारतीय ई-दोपहिया विनिर्माता बन गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में अल्ट्रावायलेट के मुख्य कार्य अधिकारी और सह-संस्थापक नारायण सुब्रमण्यम ने कहा कि यूरोपीय संघ में उनकी बाइकों की प्रमाणन प्रक्रिया में एक साल से अधिक समय लगा क्योंकि वहां नियम सख्त हैं। लेकिन इससे ई-दोपहिया विनिर्माता के लिए 40 बाजार और खुल गए हैं।

सुब्रमण्यम ने कहा, 'हालांकि हम कई देशों में शुरुआत कर रहे हैं लेकिन प्रतीकात्मक कारण से पेरिस को (शुरुआत के लिए) चुना गया था। एफिल टॉवर यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित स्मारक है, जो शुरुआत के लिए अच्छी जगह है। लेकिन हां, हम दूसरे देशों से संबंधित कार्यक्रम भी करेंगे।' अल्ट्रावायलेट पहले ही जर्मनी में शुरुआत कर चुकी है। सुब्रमण्यम ने दावा किया, 'हालांकि यूरोपीय संघ में मोटरसाइकिलिंग की मजबूत संस्कृति है (रोजाना और लंबी दूरी के लिहाज से), लेकिन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई विकल्प है, जिनके दाम तेल-गैस वाले वाहनों के बराबर हों।' *बीएस*

डीसीबी बैंक लिमिटेड DCB BANK
डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005.

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत डीसीबी बैंक लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ता (उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता) को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में वर्णित बकाया राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4), उक्त नियमों 2002 के नियम 8 के साथ-साथ r/w धारा 14(1) के तहत पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त नीचे वर्णित दिनांकों ले लिया है।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण) के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन डीसीबी बैंक लि., के प्रभार वास्ते निम्नांकित बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

1.	**सांकेतिक कब्जे की तिथि – 11.06.2025**
मांग सूचना की तिथि	**20-03-2025**
उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री दुष्यन्त कुमार त्रिवेदी और श्रीमती मीना त्रिवेदी
ऋण खाता नं.	**DRBLLUC00457685/DRBLLUC00523587**
कुल बकाया राशि	रु. **11,02,453.61/-** (रु. ग्यारह लाख दो हजार चार सौ तिरेप्पन और पैसे इकसठ मात्र) दिनांक 19.03.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान नं. 7, क्षेत्रफल 185 वर्ग फीट, प्लॉट नं. 35 मिरजान लेन नया गांव पूर्व वार्ड शिवाजी मार्ग नया गांव पूर्व नजर बाग, सफेद मस्जिद के पास जिलाः लखनऊ में स्थित सीमाएंः- पूर्वः अन्य, पश्चिमः मार्ग और सीढ़ियाँ, उत्तरः आंतरिक मार्ग, दक्षिणः अन्य संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति)
2.	**सांकेतिक कब्जे की तिथि – 11.06.2025**
मांग सूचना की तिथि	**12-03-2025**
उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री मोहम्मद अकील और श्रीमती शकीला बानो
ऋण खाता नं.	**DRBLLUC00613066**
कुल बकाया राशि	रु. **27,31,651/-** (रु. सत्ताईस लाख इकतीस हजार छह सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 12.03.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान सं. 546/531एन प्लॉट संख्या 124ए (भाग) खसरा सं. 33 मिन में समाहित क्षेत्रफल 74.349 वर्ग मी, सरफ़ाजगंज वार्ड दौलतगंज हरदोई रोड तेह और जिलाः लखनऊ सीमाएंः पूर्वः प्लॉट सं. 125ए, पश्चिमः प्लॉट सं. 124ए का शेष भाग, उत्तरः सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या 123बी (सुरक्षित संपत्ति)
3.	**सांकेतिक कब्जे की तिथि – 13.06.2025**
मांग सूचना की तिथि	**17-12-2024**
उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री रोहित वर्मा, श्रीमती संयोगिता वर्मा और श्रीमती आशा वर्मा
ऋण खाता नं.	**DRBLLUC00557635**
कुल बकाया राशि	रु. **10,90,394/-** (रु. दस लाख नब्बे हजार तीन सौ चौरान्वे मात्र) दिनांक 17.12.2024 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि खसरा संख्या 42 क्षेत्रफल 1400 वर्ग फीट, अर्थात 130.111 वर्ग मी. गांवः अलीनगर सुनहरा परगना बिजनौर तहः सरोजिनी नगर जिलाः लखनऊ में स्थित सीमाएंः - पूर्वः 20 फीट रोड, पश्चिमः मुकेश कुमार का प्लॉट, उत्तरः सरिता रावत का प्लॉट, दक्षिणः 20 फीट रोड (सुरक्षित संपत्ति)
4.	**सांकेतिक कब्जे की तिथि – 13.06.2025**
मांग सूचना की तिथि	**03-02-2025**
उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, श्रीमती ऋपिका श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
ऋण खाता नं.	**DRBLAAS00578209**
कुल बकाया राशि	रु. **28,48,414/-** (रु. अट्ठाईस लाख अडतालीस हजार चार सौ चौदह मात्र) दिनांक 03.02.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नंबर 98 ए (भाग) माप 1800 वर्ग फुट, खसरा नंबर 27/1 में शामिल ग्राम-अलीनगर सुनहरा, वार्ड-सरोजनीनगर, परगना-बिजनौर जिलाः लखनऊ में स्थित, सीमाएंः पूर्वः सड़क, पश्चिमः प्लॉट नं. 134, उत्तरः प्लॉट नं. 98, दक्षिणः अर्जी दीगर (सुरक्षित संपत्ति)
5.	**सांकेतिक कब्जे की तिथि – 13.06.2025**
मांग सूचना की तिथि	**28-01-2025**
उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री खेम चंदा साहू एवं श्रीमती कल्पना साहू
ऋण खाता नं.	**DRHLAAS00602345/DRBLAAS00602494**
कुल बकाया राशि	रु. **23,48,376/-** (रु. तेईस लाख अडतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) दिनांक 28.01.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान सं. 545 केए/एच के-2103/5 क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट, प्लॉट संख्या 13ए में शामिल खसरा संख्या 2103 का हिस्सा पारा हंसखेड़ा वार्ड आलमनगर जिलाः लखनऊ सीमाएंः पूर्वः विजय कुमार यादव का मकान, पश्चिमः सड़क, उत्तरः अनीता जायसवाल का प्लॉट, दक्षिणः वचन सिंह यादव का प्लॉट (सुरक्षित संपत्ति)
6.	**सांकेतिक कब्जे की तिथि – 13.06.2025**
मांग सूचना की तिथि	**02-01-2025**
उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री अंकित अवस्थी एवं श्रीमती मोनिका अवस्थी
ऋण खाता नं.	**DRBLLUC00613795**
कुल बकाया राशि	रु. **32,21,443/-** (रु. बत्तीस लाख इक्कीस हजार चार सौ तैतालीस मात्र) दिनांक 02.01.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नंबर 4 ART पर मकान नं. 548/381 माप 114.93 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 621 और 622 में शामिल ग्रामः देवपुर वार्ड केसरी खेड़ा प्रेम विहार नई बस्ती पारा राजा जी पुरम जिलाः लखनऊ में स्थित, सीमाएंः पूर्वः खसरा सं. 623, पश्चिमः रोड, उत्तरः आबादी देवपुर गांव, दक्षिणः प्लॉट नंबर 3 (सुरक्षित संपत्ति)

दिनांकः 17.06.2025
स्थानः लखनऊ
कृते डीसीबी बैंक लि.
प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र नं. 5
ऋण वसूली न्यायाधिकरण
600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट लखनऊ
(न्यायाधिकार क्षेत्र - उत्तर प्रदेश का हिस्सा)
(बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 12 एवं 13 के अधीन प्रतिवादी को समन)

मूल आवेदन सं. 1225 ऑफ 2024 **दिनांकः 01.05.2025**
एचडीएफसी बैंक लि. **आवेदक**

वनाम

श्री पवन शर्मा **प्रतिवादीगण**

प्रति 1. श्री पवन शर्मा, पुत्र श्री शिव राम शर्मा पताः मकान सं. 202, ग्रेटर ग्रीन पार्क, दुर्गा मंदिर के निकट, बरेली-243001, उत्तर प्रदेश **और एक पताः पवन शर्मा** स्टेट हेड सिस्का एलईडी कार्यालय स्पेश सं. 107, पहली मंजिल, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश **और एक पताः पवन शर्मा** द्वारा पवन बिल्डिंग मैटेरियल, बेगम बाग, चंदनिया मरघट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001 **प्रतिवादीगण**

ऊपर उल्लिखित आवेदन में, इस समन के प्रकाशन के उपरांत आवेदक अथवा उनके सलाहकार/यथावत रूप से अधिकृत एजेंट को इसकी प्रतिलिपि सेवित करने के उपरांत आपको व्यक्तिगत अथवा यथावत रूप से अधिकृत एजेंट अथवा वैध अधिवक्ताओं द्वारा दस्तावेज तथा हलफनामा (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक प्रारूप में उत्तर/साक्ष्य दायर करना होगा तथा तदुपरांत इस न्यायाधिकरण में **दिनांक 15.07.2025 को सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होना होगा, अन्यथा आपकी गैर हाजिरी में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

पंजीयक ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

HDFC BANK We understand your world

विशेष परिचालन विभाग :
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जी/2 भूखण्ड सं.– 07, अशोक नगर, कैंटोनमेंट के समीप, पुलिस स्टेशन मेन रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश– 211001

अधिग्रहण सूचना (साँकेतिक) (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना **दिनाँकित 06–06–2024** निर्गत की थी, जिसमें **मैसर्स एस. एस. डिस्ट्रिब्यूटर्स (उधारकर्ता) इसके स्वामी श्री अभय कुमार अग्रवाल द्वारा अभ्यावेदित (स्वामी तथा गारंटर), श्री अतुल कुमार अग्रवाल (बंधककर्ता एवं गारंटर)** को, सूचना में अंकित राशि, **रु. 1,85,09,088.41/– (रुपये एक करोड़ पिचासी लाख नौ हजार अट्ठासी और इकतालिस पैसे मात्र) 05–12–2024** के अनुसार देय तथा राशि पर नियत भावी ब्याज एवं शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता(गण) / गारंटर(गण) / बंधककर्ता(गण) निर्धारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 13 जून 2025 को अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन–देन, **रु. 1,85,09,088.41/– (रुपये एक करोड़ पिचासी लाख नौ हजार अट्ठासी और इकतालिस पैसे मात्र), 05–12–2024** के अनुसार देय, की एक राशि तथा राशि पर नियत भावी ब्याज एवं शुल्कों हेतु एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	तिथि
अरजी नं.– 438/2 पर, मौजा– मोहाद्दीपुर, टप्पा एवं परगना– हवेली, तहसील– सदर, जनपद– गोरखपुर 273001 में स्थित संपत्ति, जिसका क्षेत्राधिमापन 0.085 हेक्टेयर अर्थात् 21 डिसमल है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– चाहरदीवारी अशोक सिंह, पश्चिम– अरजी नं.– 438/1, उत्तर– रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिण– अरजी नं.– 438/1, स्वामी का नाम– श्री अतुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल।	13.06.2025

स्थान : गोरखपुर, उत्तर प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनाँक : 13–06–2025 **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**

HDFC BANK We understand your world

विशेष परिचालन विभाग :
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जी/2 भूखण्ड सं.– 07, अशोक नगर, कैंटोनमेंट के समीप, पुलिस स्टेशन मेन रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश– 211001

अधिग्रहण सूचना (साँकेतिक) (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना **दिनाँकित 18–01–2025** निर्गत की थी, **जिसमें मैसर्स एल डी एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) इसके स्वामी श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा अभ्यावेदित (स्वामी तथा गारंटर), श्रीमती गीता देवी (बंधककर्ता एवं गारंटर) को, सूचना में अंकित राशि, रु. 63,90,122.36/– (रुपये तिरेसठ लाख नब्बे हजार एक सौ बाईस और छत्तीस पैसे मात्र) 17–01–2025** के अनुसार देय तथा राशि पर नियत भावी ब्याज एवं शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता(गण) / गारंटर(गण) / बंधककर्ता(गण) निर्धारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **13 जून 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।** उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन–देन, **रु. 63,90,122.36/– (रुपये तिरेसठ लाख नब्बे हजार एक सौ बाईस और छत्तीस पैसे मात्र) 17–01–2025 के अनुसार देय,** की एक राशि तथा राशि पर नियत भावी ब्याज एवं शुल्कों हेतु एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	तिथि
आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश, जो अरजी नं.– 389 पर, मौजा– मोहद्दीपुर, टप्पा– कस्बा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जनपद– गोरखपुर में स्थित हैं (पंजीकृत विक्रय विलेख सं.– 11469 दिनांक